कार्यालय– स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, प्लाट नं0 टीसी–13/बी 16 अष्टम तल (पूर्वी हिस्सा)
पॉवर हाउस क्रासिंग, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक– 265 / एस.एल.डी.सी./मनरेगा– कन्वर्जेन्स /2015–16 दिनॉक 22 अप्रैल 2015

समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश।

विषय– मनरेगा कन्वर्जेन्स (वनीकरण) हेतु समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना में मॉडल प्रोजेक्ट का चयन एवं विकास के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रमीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के कम में प्रत्येक जनपद में मनरेगा योजनान्तर्गत कुल श्रम बजट का कम से कम 60 प्रतिशत भाग कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों पर व्यय किये जाने के निर्देश दिये गये है। ऐसी स्थित में मनरेगा एवं समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना में निर्धारित संसाधनो से कन्वर्जेन्स के अर्न्तगत बेहतर परिसम्पतियों के सृजन की कार्यवाई किया जाना आवश्यक है इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार कार्यवाई किया जाना अपेक्षित है।

1. वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में स्वीकृत परियाजनाओं मे से प्रत्येक जनपद मे एक परियोजना को मॉडल के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित किया जाये यदि सम्बन्धित जनपद में वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की कोई परियोजना संचालित नही है तो आगामी वर्ष की उपयुक्त परियोजना का चयन किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
2. चयनित परियोजनाओं के क्षेत्र में पर्याप्त एरिया वाले दो स्थलों का चयन वनीकरण हेतु किया जायेगा चयनित स्थल मनरेगा गाइड लाइन के अनुरूप प्राईवेट/सरकारी कोई भी हो सकते है। जिस स्थल पर मनेरगा फण्ड से वनीकरण होगा उस स्थल पर समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना के फण्ड से वृक्षारोपण अथवा वनीकरण का कार्य नही किया जायेगा, चयनित मॉडल प्रोजेक्ट के एक्शन प्लान में लगाए जाने वाले मैप में मनरेगा से किये जाने वाले वनीकरण को पृथक रंग से इंगित किया जायेगा।
3. वनीकरण हेतु चयनित स्थल की बाऊन्ड्री कटीले पौधों से तैयार की जायेगी। कटीले पौधों से तैयार बाऊन्ड्री अवरोधक का कार्य करेगी जिससे मनुष्य या जानवरों से पौधों का अनावश्यक क्षति ना पहुॅचाई जा सके। कटीली बाऊन्ड्री के अन्दर विभिन्न लेयर मे कमशः कम महत्व से अधिक महत्व के पौधों का रोपण किया जायेगा, सुरक्षा हित में बाऊन्ड्री के अन्दर कटीली घास यथासंभव पशुओं के चारे में भी प्रयुक्त हो सकने योग्य लगाया जाना उचित होगा।
4. वनीकरण हेतु उत्पादक्ता बढाने अर्थात फल वाले पेड़ो के पौध का रोपण किया जायेगा तथा उन रोपित पौधो का आवंटन सम्बन्धित ग्राम या ग्रामों के परिवारो के मध्य इस प्रकार किया जायेगा की चयनित प्रत्येक परिवार को समानुपातिक लाभ भविष्य में प्राप्त हो सके, लाभ के रूप में मात्र फलो को प्राप्त करने का हक होगा। पेडों की लकड़ी के उपभोग से सम्बन्धित परिवार वंचित रहेंगे। ग्राम के जिस परिवार को